रजिस्ट्री सं० डी० (डी०)-73

REGISTERED NO. D.(D.)-73



भारत का राजपत्र
The Gazette of India
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 13] नई दिल्ली, शनिवार, मार्च 29, 1980/चैत्र 9, 1902

No. 13] NEW DELHI, SATURDAY, MARCH 29, 1980/CHAITRA 9, 1902

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) केन्द्रीय प्राधिकारियों द्वारा विधि के अन्तर्गत बनाए और जारी किए गए साधारण नियम जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उपनियम आदि सम्मिलित हैं ।

General Statutory Rules (including orders, bye-laws etc. of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय

(विधि कार्य विभाग)

नई दिल्ली, 1 मार्च, 1980

शुद्धि-पत्र

सा०का०नि० 341.—भारत के राजपत्र, भाग 2, खण्ड 3, उपखण्ड (i), तारीख 20 जनवरी, 1979 में प्रकाशित, भारत सरकार के विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय (विधि कार्य विभाग) की अधिसूचना सं० सा०का०नि० 72, तारीख 18 दिसम्बर, 1978 में, पृष्ठ 174 पर—

छठी पंक्ति, "(तृतीय संशोधन) नियम, 1978" के स्थान पर "(द्वितीय संशोधन) नियम, 1979" पढ़ें ।

[सं० ए०-12018/6/78-प्रशा० I(एल० ए०)]

[एन० के० सेठ, उप सचिव

MINISTRY OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS

(Department of Legal Affairs)

New Delhi, the 1st March, 1980

CORRIGENDUM

G.S.R. 341.—In the Notification of the Government of India in the Ministry of Law, Justice and Company Affairs (Department of Legal Affairs) No. GSR. 72, dated the 18th December, 1978, and published in the Gazette of India, Part-II—Section 3, Sub-section (i), dated the 20th January, 1979, at page 174—

in line 6, for "(Third Amendment) Rules, 1978", read "(Second Amendment) Rules, 1979".

[No. A-12018/6/78-Adm. I(LA)]

N. K SETH, Dy. Secy.

नई दिल्ली, 17 मार्च, 1980

सा०का०नि० 374.—संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारतीय रेल इंटरमीडिएट कालेज, उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, उच्चतर माध्यमिक बहुउद्देशीय विद्यालय और उच्च विद्यालय (ग्रुप ए और ग्रुप बी पद) भर्ती नियम, 1979 के अधिलंघन में, राष्ट्रपति एतद्द्वारा कतिपय ग्रुप ए और ग्रुप बी पदों पर भर्ती की पद्धति को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ:—(1) ये नियम भारतीय रेल डिग्री कालेज, इंटरमीडिएट कालेज, उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, उच्चतर माध्यमिक बहुउद्देशीय विद्यालय और उच्चविद्यालय (ग्रुप ए और ग्रुप बी पद) भर्ती नियम, 1980 कहलायेंगे।

(2) ये सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे ।

2. प्रयुक्ति :—ये नियम इनके साथ संलग्न अनुसूची के कालम 1 में विनिर्दिष्ट पदों पर लागू होंगे।

3. पदों की संख्या, वर्गीकरण तथा वेतनमान :—उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण तथा उनका वेतनमान वह होगा जो इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची के कालम 2 से 4 में विनिर्दिष्ट हैं।

4. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि :—उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं तथा उनसे संबन्धित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के कालम 5 से 14 में विनिर्दिष्ट हैं ।

5. अयोग्यताएं:—कोई भी व्यक्ति :—

(क) जिसने किसी ऐसे व्यक्ति, जिसका कोई पति/पत्नी मौजूद हो, से विवाह किया हो या विवाह करने की संविदा की हो, या

(ख) जिसने एक पति/पत्नी के रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया हो या विवाह करने की संविदा की हो,

उक्त पदों पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा :

बशर्ते कि केन्द्रीय सरकार, यदि वह इस बात से संतुष्ट हो कि ऐसे व्यक्ति तथा विवाह के दूसरे पक्ष पर लागू होने वाली स्वीय विधि के अन्तर्गत ऐसा विवाह अनुमेय है तथा ऐसा करने के अन्य कारण भी हैं, किसी व्यक्ति को इस नियम से छूट दे सकती है ।

6. छूट देने की शक्ति :—जहां केन्द्रीय सरकार की राय में ऐसा करना आवश्यक या कालोचित हो तो वह इसके कारणों को लिखित रूप में दर्ज करते हुए तथा संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से इन नियमों के किसी उपबन्ध से किसी श्रेणी या वर्ग के व्यक्तियों को छूट देने का आदेश दे सकती है ।

7. व्यावृत्ति :—इन नियमों में दिये गये उपबन्धों का इस संबन्ध में केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य विशेष कोटियों के व्यक्तियों के लिए अपेक्षित आरक्षणों, आयु सीमा में छूट तथा अन्य रियायतों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा ।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	चयन पद है अथवा गैर-चयन पद	क्या नियम 2434-ए (सा०का० नि० 404बी) आर-11 के अधीन सेवा के वर्षों में वृद्धि का लाभ अनुमेय है	सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए आयु-सीमा	सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों से अपेक्षित शैक्षिक तथा अन्य अर्हताएं
1	2	3	4	5	6	7	8
1. प्रधानाचार्य, डिग्री कालेज-1 2. प्रधानाचार्य, इंटरमीडिएट कालेज—4 3. प्रधानाचार्य/ प्रधानाध्यापक/ प्रधानाध्यापिका, उच्चतर माध्यमिक विद्यालय अथवा उच्चतर माध्यमिक बहु-उद्देश्यीय विद्यालय-20	25	रेल सेवा ग्रुप 'ए'	1100-50-1600 रु०	चयन	लागू नहीं	45 वर्ष से अधिक न हो (सरकारी कर्मचारियों के लिए शिथिलनीय) नोट : आयु की सीमा निर्धारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में रहने वाले	अनिवार्य : (1) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से कम से कम द्वितीय श्रेणी में स्नातकोत्तर उपाधि अथवा उसके समकक्ष । (2) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अध्यापन अथवा शिक्षा में उपाधि अथवा उसके समकक्ष । (3) किसी उच्च विद्यालय या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय अथवा किसी इंटरमीडिएट कालेज में अध्यापन का 10 वर्ष का अनुभव ।

1	2	3	4	5	6	7	8
							वांछनीय : (1) किसी मान्यताप्राप्त उच्च-विद्यालय, उच्चतर माध्यमिक या इंटरमीडिएट कालेज के प्रशासनिक कालेज के प्रशासनिक प्रभार का अनुभव । (2) डाक्टर की उपाधि । नोट 1. अन्यथा सुयोग्य उम्मीदवारों के मामलों में अर्हताएं संघ लोक सेवा आयोग के स्वविवेक पर शिथिलनीय हैं । नोट 2. यदि भर्ती की किसी प्रवर्ग पर संघ लोक सेवा आयोग की यह राय हो कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन-जाति के लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए इन समुदायों से अपेक्षित अनुभव रखने वाले उम्मीद-वार उपलब्ध होने की संभावना नहीं है तो अनुभव के संबन्ध में अर्हता/अर्हताओं को इन समुदायों के उम्मीदवारों के मामले में संघ लोक सेवा आयोग के स्वविवेक पर शिथिल किया जा सकता है ।
						(अण्डमान और निकोबार द्वीप समूहों तथा लक्षद्वीप में रहने वालों से भिन्न) उम्मीदवारों से आवेदन-पत्र प्राप्त करने की अंतिम तारीख होगी ।	

9	10	11	12	13	14
क्या सीधी भर्ती के उम्मीदवारों के लिए निर्धारित आयु तथा शैक्षिक अर्हताएं पदोन्नति वाले उम्मीदवारों पर भी लागू होंगी	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति अर्थात सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति द्वारा या स्थानान्तरण द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों से भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत	यदि पदोन्नति/ प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा भर्ती होनी हो तो वह ग्रेड जिनसे पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/ स्थानान्तरण किया जाना है	यदि कोई विभागीय पदोन्नति समिति हो तो उसकी संरचना क्या है	परिस्थितियां जिनमें भर्ती के लिए संघ लोक सेवा आयोग का परामर्श लिया जाना है
नहीं	दो वर्ष	पदोन्नति द्वारा जिसके न होने पर प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण द्वारा और दोनों के न होने पर सीधी भर्ती द्वारा ।	पदोन्नति : (1) संबंधित ग्रेड में 5 वर्ष की नियमित सेवा वाले उच्च विद्यालयों के प्रधानाचार्य अथवा प्रधानाध्यापक या प्रधानाध्यापिका (650—1200 रु०) (इसमें तदनुरूपी वेतनमान में उसके संशोधन से पूर्व की गयी सेवा भी सम्मिलित है) । (2) उपर्युक्त (1) के न होने पर प्रधानाचार्य, प्रधानाध्यापक अथवा प्रधानाध्यापिका (650—1200 रु०) और 550—900 के वेतनमान में अध्यापक ग्रेड I या प्राध्यापक	ग्रुप 'ए' विभागीय पदोन्नति समिति जिसमें : (1) अध्यक्ष या सदस्य संघ लोक सेवा आयोग—अध्यक्ष (2) निदेशक, प्रबन्ध व्यवस्था सेवा-सदस्य और (3) रेल मंत्रालय का एक अन्य निदेशक रहेंगे ।	सीधी भर्ती द्वारा पदोन्नति द्वारा अथवा राज्य सरकार या विश्व-विद्यालय के किसी अधिकारी का प्रति-नियुक्ति पर स्थानान्तरण के द्वारा पद पर नियुक्ति करते समय और इन नियमों के उपबंधों में कोई संशोधन या छूट देते समय भी आयोग से परामर्श लेना आवश्यक है ।

9	10	11	12	13	14
			या प्रधानाध्यापक के रूप में काम करने वाले अध्यापन कर्मचारी के पदों पर 10 वर्ष की सम्मिलित नियमित सेवा हो (इसमें तदनुरूपी वेतनमान में संशोधन-पूर्व की गयी सेवा भी शामिल है) । (3) दोनों के न होने पर, संबंधित ग्रेड में 10 वर्ष की नियमित सेवा सहित 550—900 रु० के वेतनमान में अध्यापक ग्रेड I या प्राध्यापक या प्रधानाध्यापक के रूप में काम करने वाले अध्यापन कर्मचारी (इसमें तदनुरूपी वेतनमान में संशोधन-पूर्व की गयी सेवा भी शामिल है) । प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण : केन्द्रीय अथवा राज्य सरकारों अथवा विश्वविद्यालयों के अधीन सदृश पदों पर काम करने वाले अधिकारी अथवा प्राध्यापक (प्रतिनियुक्ति की अवधि साधारणतः 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी) ।		

1	2	3	4	5	6	7	8
3. उच्च विद्यालयों के प्रधानाचार्य या प्रधानाध्यापक या प्रधानाध्यापिका	48	रेल सेवा ग्रुप 'बी'	650-30-740-35-810-द०रो०-35-880-40-1000-द०रो०-40-1200 रु०	चयन	लागू नहीं	40 वर्ष (सरकारी कर्मचारियों के लिए शिथिलनीय)	अनिवार्य : (1) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से द्वितीय श्रेणी में स्नातकोत्तर उपाधि अथवा उसके समकक्ष । (2) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से शिक्षा अथवा अध्यापन में उपाधि अथवा उसके समकक्ष । (3) किसी मान्यताप्राप्त उच्च विद्यालय अथवा शैक्षणिक संस्थान में प्रशासनिक प्रभार का 3 वर्ष का अनुभव, 2 वर्ष के अध्यापन अनुभव सहित (अन्य प्रकार से अच्छे अर्हता-प्राप्त उम्मीदवारों के मामले में ये अर्हताएं संघ लोक सेवा आयोग के स्वविवेक पर शिथिलनीय) वांछनीय : पब्लिक स्कूल का अनुभव ।

9	10	11	12	13	14
नहीं	दो वर्ष	पदोन्नति द्वारा, जिसके न होने पर प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण द्वारा और दोनों के न होने पर सीधी भर्ती द्वारा ।	पदोन्नति : (1) 550-900 रु० के वेतनमान में, इस ग्रेड में नियुक्ति के पश्चात् नियमित आधार पर 3 वर्ष की सेवा वाले अध्यापक ग्रेड I, प्राध्यापक अथवा प्रधानाध्यापक के रूप में काम करने वाले स्थायी अध्यापन कर्मचारी (इसमें तदनुरूपी वेतनमान में संशोधन पूर्व की गयी सेवा भी शामिल है) । (2) उपर्युक्त (1) के न होने पर 440—750 रु० के वेतनमान में, इस ग्रेड में नियुक्ति के पश्चात् नियमित आधार पर 10 वर्ष की सेवा वाले स्थायी प्रशिक्षित स्नातक अध्यापक और अन्य अध्यापक इसमें (तदनुरूपी वेतनमान में संशोधन-पूर्व की गयी सेवा भी शामिल है) । प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण : राज्य सरकारों के उच्च विद्यालयों से सदृश पदों पर काम करने वाले अधिकारी । (प्रतिनियुक्ति की अवधि साधारणतः 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी) ।	यूपी 'बी' विभागीय पदोन्नति समिति जिसमें मुख्य कार्मिक अधिकारी और संबन्धित विभागाध्यक्ष को मिलाकर चार विभागाध्यक्ष होंगे । उत्पादन कारखानों के मामलों में विभागीय पदोन्नति समिति में उपमहाप्रबन्धक या विषय से संबन्धित उप मुख्य कार्मिक अधिकारी और संबन्धित विभागाध्यक्ष को मिला कर तीन विभागाध्यक्ष होंगे ।	सीधी भर्ती करते समय और किसी राज्य सरकार के किसी अधिकारी को प्रतिनियुक्ति पर लगाते समय और इन नियमों के किसी उपबन्ध में संशोधन/छूट देते समय संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श लेना आवश्यक होगा ।

[सं० 78/ई (जी आर)/I/24/1]

आर० रामनाथन, उपनिदेशक, स्थापना (राज.)

New Delhi, the 17th March, 1980

G.S.R. 374.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, and in supersession of the Indian Railways Intermediate College, Higher Secondary School, Higher Secondary Multipurpose School and High School (Group A and Group B posts) Recruitment Rules, 1979, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to certain Group A and Group B posts in the Indian Railways, namely :—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Indian Railways Degree College, Intermediate College, Higher Secondary School, Higher Secondary Multipurpose School and High School (Group A and Group B posts) Recruitment Rules, 1980.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Application.—These rules shall apply to the posts specified in column 1 of the Schedule annexed to these rules.

3. Number of posts, classification and scales of pay.—The number of the said posts, their classification and the scales of pay attached thereto shall be as specified in columns 2 to 4 of the said Schedule.

4. Method of recruitment, age limits, qualifications etc.—The method of recruitment to the said posts, age limit, qualifications and other matters connected therewith shall be as specified in columns 5 to 14 of the Schedule aforesaid.

5. Disqualification.—No person,—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to any of the said posts :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

6. Power to relax.—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, and in consultation with the Union Public Service Commission relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

7. Saving.—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for candidates belonging to the Scheduled Castes the Scheduled Tribes and other special categories in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	No. of posts	Classification	Scale of pay	Whether selection post or non-selection post.	Whether benefit of added years of service admissible under rule 2423-A (CSR 404 B) RII	Age limit for direct recruits.	Educational and other qualifications required for direct recruits.
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Principal Degree College - 1 2. Principal Intermediate College-4 3. Principal/ Headmaster/ Headmistress of Higher Secondary School or Higher Secondary Multi-Purpose School —20	25	Railway Service Group A	Rs. 1100-50-1600.	Selection	Not applicable.	Not exceeding 45 years. (Relaxable for Government Servants). Note: The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of application from candidates in India (other than those in Andaman & Nicobar Islands and Lakshadweep).	Essential : (i) At least a Second Class Master's Degree from a recognised University or equivalent. (ii) Degree in Teaching or Education from a recognised University or equivalent. (iii) 10 years' experience of teaching in a High or Higher Secondary School, an Intermediate College, or Degree College. Desirable : (i) Experience in administrative charge of a recognised High School, Higher Secondary School, an Intermediate College or a Degree College. (ii) Doctorate Degree. Note 1: Qualifications are relaxable at the discretion of the U.P.S.C. in case of candidates otherwise well qualified. Note 2 : The qualification(s) regarding experience is/ are relaxable at the discretion of the U.P.S.C. in the case of candidates belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribes if, at any stage of selection, the U.P.S.C. is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.

Whether age & educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Period of probation, if any.	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or transfer and percentage of vacancies to be filled by various methods.	In case of recruitment by promotion/deputation/transfer, grades from which promotion deputation/tansfer to be made.	If a D.P.C. exists, what is its composition.	Circumstances in which UPSC is to be consulted in making recruitment.
9	10	11	12	13	14
No.	2 years	By promotion failing which by transfer on deputation and failing both by direct recruitment.	Promotion : (i) Principal or Headmaster or Headmistress of High Schools (Rs. 650-1200) with 5 years regular service in the respective grade (including service in the corresponding scales of pay before their revision). (ii) Failing (i) above, 10 years combined regular service in posts of Principal, Headmaster or Headmistress (Rs. 650-1200) and teaching staff working as Teacher, Grade I or Lecturer or Head master in the scale of pay of Rs. 550-900 (including service in the corresponding scales of pay before their revision). (iii) Failing both, teaching staff working as Teacher Grade I or Lecturer or Headmaster in the scale of Rs. 550-900 with 10 years' regular service in the respective grade (including service in the corresponding scales of pay before their revision). Transfer on Deputation: Officers holding analogous posts or Lecturer under the Central or State Governments or Universities (Period of deputation shall ordinarily not exceed 3 years).	Group 'A' Departmental Promotion Committee consisting of : (i) Chairman or Member of Union Public Service Commission —Chairman. (ii) Director Management Services —Member.& (iii) One other director of the Ministry of Railways —Member.	Consultation with the Union Public Service Commission necessary while making appointment to the post by direct recruitment, by promotion or by transfer on deputation of an officer of the State Government or University and while amending or relaxing any of the provisions of these rules.

1	2	3	4	5	6	7	8
4. Principal or Headmaster or Headmistress of High School.	48	Railway Service Group B.	Rs. 650-30-740-35-810-EB-35-880-40-1000—EB-40-1200.	Selection	Not applicable.	40 years. (Relaxable for Government Servants).	Essential : (i) Second Class Master's Degree from a recognised University or equivalent. (ii) Degree in teaching or education from a recognised University or equivalent. (iii) 3 years' experience of administrative charge of a recognised High School or Educational Institute including 2

1	2	3	4	5	6	7	8
							years' teaching experience (Qualifications relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission in case of candidates otherwise well qualified. Desirable :— Public School experience.

9	10	11	12	13	14
No.	2 years.	By promotion failing which by transfer on deputation and failing both by direct recruitment.	Promotion :— (i) Permanent teaching staff working as Teachers Grade I, Lecturers or Head Masters in the scale of pay of Rs. 550-900 with 3 years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis (including service in corresponding scales of pay before revision of scales of pay). (ii) failing (i) above, permanent trained graduate teachers and other teachers in the scale of pay of Rs. 440-750 with 10 years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis (including service in the corresponding scales of pay before revision of scales). Transfer on deputation :— Officers holding analogous posts in High Schools of State Governments. (Period of deputation shall ordinarily not exceed 3 years).	Group B Departmental Promotion Committee consisting of four Heads of Departments including Chief Personnel Officer and the Head of Department concerned, In case of production Units, Departmental Promotion Committee will consist of three Heads of Departments including Deputy General Manager or the Deputy Chief Personnel Officer and the Head of Department concerned.	Consultation with the Union Public Service Commission necessary while making direct recruitment, appointing State Government Officer on deputation and while amending/relaxing any of the provisions of these rules.

[No. 78/E(GR) I/24/I]

R. RAMANATHAN, Dy. Direct. Esstt. (G).

श्रम मंत्रालय

नई दिल्ली, 19 मार्च, 1980

सा०का०नि० 375.—कोयला खान विनियम, 1957 में और संशोधन करने के लिए विनियमों का एक प्रारूप, खान अधिनियम, 1952 (1952 का 35) की धारा 59 की उपधारा (1) की अपेक्षानुसार, भारत सरकार के श्रम मंत्रालय की अधिसूचना सं० मा०का०नि० 496, तारीख 17 मार्च, 1979 के अधीन, भारत के राजपत्र, भाग 2, खण्ड 3, उपखण्ड (i), तारीख 31 मार्च, 1979 के पृष्ठ सं० 927-928 पर प्रकाशित किया गया था, जिसमें राजपत्र में उक्त अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से तीन मास, की अवधि की समाप्ति तक उन सभी व्यक्तियों से आपत्तियां या सुझाव मांग गए थे, जिनके उससे प्रभावित होने की सम्भावना थी ;

और उक्त राजपत्र 31 मार्च, 1979 को जनता को उपलब्ध करा दिया गया था ;

और केन्द्रीय सरकार ने उक्त प्रारूप की बाबत जनता से प्राप्त आपत्तियों और सुझावों पर विचार कर लिया है ;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 57 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिनियम के अधीन गठित खनन बोर्डों को उक्त प्रारूप निर्देशित करने के पश्चात् और उक्त अधिनियम की धारा 59 की उपधारा (4) द्वारा यथा अपेक्षित, ऐसे बोर्डों को ऐसे संशोधन करने की समीचीनता के बारे में तथा उनकी उपयुक्तता के बारे में रिपोर्ट देने का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात्, कोयला खान विनियम, 1957 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (i) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम कोयला खान (संशोधन) विनियम, 1980 है ।

EXTRACT FROM THE GAZETTE OF INDIA, PART II, SEC. 3, SUB-SEC. (i)

Appearing on Page Nos. 1140-1141
Dated 14-5-83

रेल मंत्रालय
MINISTRY OF RAILWAYS

(रेलवे बोर्ड)

नई दिल्ली, 28 मार्च, 1983

सा० का० नि० 380.—संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रपति एतद्द्वारा भारतीय रेल डिग्री कालेज, इंटरमीडिएट कालेज, उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, उच्चतर माध्यमिक बहुउद्देश्यीय विद्यालय तथा हाई स्कूल (ग्रुप 'क' और ग्रुप 'ख' पद) भर्ती नियम 1980 को संशोधित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. (1) ये नियम भारतीय रेल इंटरमीडिएट कालेज, उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, उच्चतर माध्यमिक बहु-उद्देश्यीय विद्यालय तथा हाई स्कूल (ग्रुप 'क' और ग्रुप 'ख' पद) भर्ती (द्वितीय संशोधन) नियम 1983 कहलायेंगे ।

(2) ये सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे ।

2. भारतीय रेल डिग्री कालेज, इंटरमीडिएट कालेज, उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, उच्चतर माध्यमिक बहु-उद्देश्यीय विद्यालय तथा हाई स्कूल (ग्रुप 'क' और ग्रुप 'ख' पद) भर्ती नियम 1980 की अनुसूची के —

(क) कालम 7 में क्रम सं० 2 और 3 की प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जायें, अर्थात् :—

"45 वर्ष से अधिक न हो (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी अनुदेशों अथवा आदेशों के अनुसार सरकारी कर्मचारियों के लिए 5 वर्ष तक शिथिलनीय)।

टिप्पणी :—आयु सीमा निर्धारित करने के लिए निर्णायक तिथि वही होगी, जो भारत में (अंडमान तथा निकोबार और लक्ष्यद्वीप के उम्मीदवारों को छोड़कर) रहने वाले उम्मीदवारों से प्रार्थना-पत्र प्राप्त करने की अंतिम तारीख होगी ।"

(ख) कालम-7 के क्रम सं० 4 की प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए, अर्थात्:—

"40 वर्ष (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी अनुदेशों अथवा आदेशों के अनुसार सरकारी कर्मचारियों के लिए 5 वर्ष तक शिथिलनीय)।

टिप्पणी :—आयु-सीमा निर्धारित करने के लिए निर्णायक तिथि वही होगी, जो भारत में (अंडमान तथा निकोबार और लक्ष्यद्वीप के उम्मीदवारों को छोड़कर) रहने वाले उम्मीदवारों से प्रार्थना-पत्र प्राप्त करने की अंतिम तारीख होगी ।

[सं० 82/ई (जी आर) 1/24/3]
आर० रामानाथन, संयुक्त निदेशक,
स्थापना (जी०आर०)

मूल नियम 1980 को सा० का० नि० सं० 374 के अन्तर्गत प्रकाशित किए गए थे तथा 1982 की सा० का० नि० सं० 850 के अन्तर्गत संशोधित किए गए थे ।

(Railway Board)

New Delhi, the 28th March, 1983

G.S.R.380—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Indian Railways Degree College, Intermediate College, Higher Secondary School, Higher Secondary Multipurpose School and High School (Group 'A' and Group 'B' posts) Recruitment Rules 1980, namely :—

1. (1) These rules may be called the Indian Railways Degree College, Intermediate College, Higher Secondary School, Higher Secondary Multipurpose School and High School (Group 'A' and Group 'B' posts) Recruitment (Second Amendment) Rules, 1983.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Schedule to the Indian Railway Degree College, Intermediate College, Higher Secondary School, Higher Secondary Multipurpose School and High School Group 'A' and Group 'B' posts) Recruitment Rules, 1980,—

(a) for the entry under column 7 against serial numbers 2 and 3, the following entry shall be substituted namely :—

"Not exceeding 45 years (relaxable for Government servants upto 5 years in accordance with instructions or orders issued by the Central Government).

Note (a) The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of application from candidates in India (other than those in Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep)."

(b) for the entry under column 7 against serial number 4, the following entry shall be substituted, namely :—

"40 years (relaxable for Government servants upto 5 years in accordance with instructions or orders issued by Central Government).

Note :—The curcial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of application from candidates in India (other than those in Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep)".

[No. 82/E(GR)I/2475]

R. RAMANATHAN, Jt. Director, Estt. (GR)

Principal rules were published under G.S.R. 374 of 1980 and amended by G.S.R. 850 of 1982.

MGIPRRND—2RB/83—Sec. VII—6-7-83—200

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D.L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 78] नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 3, 2006/फाल्गुन 12, 1927
No. 78] NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 3, 2006/PHALGUNA 12, 1927

रेल मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 फरवरी, 2006

सा.का.नि. 129(अ).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारतीय रेल डिग्री कॉलेज, इंटरमीडिएट कॉलेज, उच्चतर माध्यमिक विद्यालय और उच्चतर माध्यमिक बहुउद्देशीय विद्यालय और उच्च विद्यालय (समूह "क" और समूह "ख") भर्ती नियम, 1980 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

1. (i) इन नियमों का संक्षिप्त नाम भारतीय रेल डिग्री कॉलेज, इंटरमीडिएट कॉलेज, उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, उच्चतर माध्यमिक बहुउद्देशीय विद्यालय और उच्च विद्यालय (समूह "क" और समूह " ख" पद) भर्ती (संशोधन) नियम, 2006 है.

(ii) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे.

2. भारतीय रेल डिग्री कॉलेज, इंटरमीडिएट कॉलेज, उच्चतर माध्यमिक विद्यालय उच्चतर माध्यमिक बहुउद्देशीय विद्यालय और उच्च विद्यालय (समूह "क" और समूह "ख" पद) भर्ती संशोधन नियम, 1980 की अनुसूची में क्रम संख्या 4 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् :-

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	चयन अथवा अचयन पद	सेवा में जोड़े गए वर्षों का फायदा केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम 1972 के नियम 30 के अधीन अनुज्ञेय है या नहीं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा
1	2	3	4	5	6	7
4.प्रधानाचार्य या प्रधानाध्यापक या प्रधानाध्यापिका	*48 (2004)	रेल सेवा समूह "ख" राजपत्रित	7500-250-12000/-रु.	चयन	लागू नहीं होता	40 वर्ष से अधिक नहीं #
				# टिप्पण: 1. केंद्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 5 वर्ष तक शिथिल की जाएंगी.		
				टिप्पण: 2. आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी. न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरूणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा. सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उपखंड, अंडमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है.		

* कार्य भार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो.
8	9	10
(i) किसी मान्यता-प्राप्त विश्वविद्यालय से मास्टर डिग्री या समतुल्य (ii) किसी मान्यता-प्राप्त विश्वविद्यालय से अध्यापन या शिक्षा में डिग्री या समतुल्य (iii) किसी मान्यता-प्राप्त उच्च विद्यालय या शैक्षिक संस्था में प्रशासन का 3 वर्ष का अनुभव जिसमें 2 वर्ष अध्यापन का अनुभव भी सम्मिलित है $	आयु-नहीं शैक्षिक अर्हताएं-हां	दो वर्ष
$ टिप्पण: 1. अर्हताएं अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है. टिप्पण: 2. अनुभव संबंधी अर्हता/अर्हताएं संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती है/हैं. जब चयन के किसी प्रक्रम पर संघ लोक सेवा आयोग की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है.		

भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिशतता	प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा.	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा.
11	12	13	14
प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर, प्रतिनियुक्ति द्वारा, दोनों के न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा.	I. प्रोन्नति-6500-10500/-रु. के वेतनमान में ऐसे स्नातकोत्तर अध्यापक या प्रधानाचार्य या प्रधानाध्यापिका जिन्होंने उस श्रेणी में नियुक्ति के पश्चात 3 वर्ष नियमित सेवा की हो. II.प्रधानाचार्य या प्रधानाध्यापक या प्रधानाध्यापिका का पद नियमित आधार पर धारण करने वाले व्यक्तियों की 7500-12000/-रु. के वेतनमान में प्रधानाचार्य या प्रधानाध्यापक या प्रधानाध्यापिका के उन्नयित पद उपयुक्त निर्धारित किया जाता है तो वह इस नियम के आरम्भ की तारीख से पद पर नियुक्त किया गया समझा जाएगा. यदि वह उन्नयित वेतनमान में नियुक्ति के लिए उपयुक्त नहीं निर्धारित किया जाता है तो वह 6500-10500/-रु. के पुनरीक्षित वेतनमान बना रहेगा और उसके मामले का प्रत्येक वर्ष पुनर्विलोकन किया जाएगा. **टिप्पण:** जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में जिन्होंने अपनी अर्हक/पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित उनकी उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली है, जिन्होंने ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है. प्रतिनियुक्ति :- केंद्रीय सरकार के उच्च विद्यालयों में सदृश पदों पर नियमित रूप से काम करने वाले अधिकारी पोषक प्रवर्ग के ऐसे अधिकारी जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में है, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे. इसी प्रकार प्रतिनियुक्ति व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे.	समूह " ख" विभागीय प्रोन्नति समिति प्रोन्नति और पुष्टि के लिए, जिसमें निम्निलिखित होंगे :- संबंधित ज़ोनल रेलवे के अधिकारियों जिसमें मुख्य कार्मिक अधिकारी सहित तीन विभागाध्यक्ष होंगे जिनका नाम निर्देशन संबंधित रेलवे के महाप्रबंधक द्वारा किया जाएगा. यदि विभागीय प्रोन्नति समिति के गठन में कोई भी अधिकारी अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का नहीं है तो अनुसूचित जाति या जनजाति का ऐसे चौथे अधिकारी का जो उपविभागाध्यक्ष(कनिष्ठ प्रशासनिक श्रेणी) से निम्न का न हो, नाम निर्देशित किया जाएगा.	सीधी भर्ती करते समय संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है.

-11-	-12-	-13-	-14-
	प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति के ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी . प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी.		

[सं. 96/ई(जी आर)आई/19/1]

जसवन्त राय, कार्यकारी निदेशक, स्था. (राज.सव.)

रेलवे बोर्ड

टिप्पण : मूल नियम भारत के राजपत्र, भाग II, खंड 3 (i) तारीख 29 मार्च, 1980 में, सा.का.नि. संख्या 374, तारीख 17 मार्च, 1980, द्वारा प्रकाशित किए गए थे और तत्पश्चात् सा.का.नि. सं. 850, तारीख 17 सितम्बर, 1982 और सा.का.नि. 380 तारीख 28 मार्च, 1983 द्वारा संशोधित किए गए।

MINISTRY OF RAILWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th February, 2006

G. S. R. 129(E).—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, , the President hereby makes the following rules further to amend the Indian Railways Degree College, Intermediate College, Higher Secondary School, Higher Secondary Multipurpose School and High School (Group 'A' & Group 'B' posts) Recruitment Rules, 1980, namely:

1. (i) These rules may be called the Indian Railways Degree College, Intermediate College, Higher Secondary School, Higher Secondary Multipurpose School and High School (Group 'A' & Group 'B' posts) Recruitment (Amendment) Rules, 2006.

(ii) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Schedule to the Indian Railways Degree College, Intermediate College, Higher Secondary School, Higher Secondary Multipurpose School and High School (Group 'A' & Group 'B' posts) Recruitment Rules, 1980, for serial number 4 and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely:

604 GI/06-2

SCHEDULE

Name of post.	Number of posts.	Classification.	Scale of pay.	Whether selection post or non-selection post.	Whether benefit of added years of service admissible.	Age limit for direct recruits.	Educational and other qualifications required for direct recruits.
1	2	3	4	5	6	7	8
4. Principal or Head-master or Head-mistress	*48 (2004) * Subject to variation dependent on workload	Railway Service Group 'B', Gazetted	Rs. 7500-250-12000	Selection	Not applicable	Not exceeding 40 years. Note 1: Relaxable for Government servant upto five years in accordance with the instruction or orders issued by the Central Government. Note 2: The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India, (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep).	(i) Master's Degree from a recognized University or equivalent; (ii) Bachelors Degree in teaching or education from a recognized University or equivalent; (iii) Three years' experience of administration in a recognized High School or education Institution including two years experience in teaching. **Note 1:** Qualifications are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission in case of candidates otherwise well qualified. **Note 2:** The qualification(s) regarding experience is/ are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes or Scheduled Tribes if at any stage of selection, the Union Public Service Commission is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the posts reserved for them.

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Period of probation, if any.	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/ absorption and % of the posts to be filled by various methods.	In case of recruitment by promotion/ deputation/ absorption, grades from which promotion/ deputation/ absorption to be made.	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
9	10	11	12	13	14
Age: No. Educational Qualification: Yes.	Two years	By promotion failing which by deputation failing both by direct recruitment.	**I. <u>Promotion:</u>** Post Graduate Teacher or Headmaster or Headmistress in the scale of Rs. 6500-10500 with three years regular service in the grade after appointment thereto on a regular basis. **II.** The suitability of the regular holder of the post of Principal or Headmaster or Headmistress shall be assessed by the Departmental Promotion Committee to the upgraded post of Principal or Headmaster or Headmistress in the scale of pay of Rs. 7500-12000. If assessed suitable, he shall be deemed to have been appointed to the post on the date of commencement of these rules. If assessed not suitable for appointment to the upgraded scale of pay he shall continue to be in the revised scale of pay of Rs. 6500-10500 and his case shall be reviewed every year. Note : Where Juniors who have completed their qualifying/ eligibility	<u>Group 'B' Departmental Promotion Committee (for considering promotion and confirmation) consisting of:</u> Officers of the Zonal Railways concerned consisting of three Head of the Departments including Chief Personnel Officer to be nominated by General Manager of Railway concerned. If none of the officers constituting the Departmental Promotion Committee belongs to either Scheduled Caste or Scheduled Tribes, fourth officer belonging to Scheduled Castes or Scheduled Tribes not lower than the Deputy Head of the Department (Junior Administrative Grade) may be nominated.	Consultation with Union Public Service Commission necessary while making direct recruitment.

9	10	11	12	13	14
			service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying/ eligibility service by more than half of such qualifying/ eligibility service, or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade alongwith their juniors who have already completed such qualifying/ eligibility service. Deputation: Officers holding analogous posts on regular basis in High Schools of Central Government. The Departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. (Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation/ department of the Central Government shall ordinarily not to exceed three years. The maximum age limit for appointment by deputation		

9	10	11	12	13	14
			shall be not exceeding 56 years as on the closing date of receipt of applications).		

"

[No. 96/E(GR) I/19/1]

JASWANT RAI, Executive Director Establishment
(Gazetted Cadre) Railway Board

Note: The principal rules were published in the Gazette of India Part II, section 3(i), dated the 29th March 1980 vide number GSR 374, dated the 17th March, 1980 and subsequently amended vide numbers GSR 850, dated the 17th September, 1982 and GSR 380, dated the 28th March, 1983.

Gc4GI/ec-3

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.